मान सरकार का बड़ा ऐलान, किसान के परिवार को मिलेंगे एक करोड़

चंडीगढ़, 23 फरवरी. 21 फरवरी यानी बुधवार को खनौरी सीमा पर जान गंवाने वाले किसान शुभकरण सिंह के परिवार को पंजाब सरकार आर्थिक मदद देगी। उनकी बहन को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। यह एलान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया है. उधर, किसान संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है. पंजाब सरकार ने शुक्रवार को खनौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले किसान शुभकरण के परिवार को एक करोड़ रुपये और बहन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद इसकी जानकारी साझा की. बीते बुधवार को खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण की किसान आंदोलन के दौरान रबड़ की गोली लगने से मौत हो गई थी. युवक अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था. मुख्यमंत्री ने हरियाणा की सीमा पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए इस शहीद के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और परिवार को संकट से बाहर निकालने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी.

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक /974/अ.क.री./का.से./2024 — इन्दौर, दिनांक 21.02.2024

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियो का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा **ग्राम- झलारिया, तहसील-कनाड़िया**, जिला-इन्दौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-

अ क्र.	कालोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिये विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रुप में बंधक रखे गये भूखंडो का विवरण
1	2	3	4
1	आवेदक मेसर्स एक्सीलेंट इन्फ्राबिल्ड तर्फे पार्टनर श्री विवेक चुघ पिता श्री मोहनलाल चुघ पता:- 84/3/5, ग्राण्ड एक्सोटिका, भिचौली मर्दाना, इन्दौर (म.प्र.) कालोनी का नाम ''PALM EXOTICA''	ग्राम - झलारिया, तहसील-कनाड़िया, जिला - इन्दौर स्थित भूमि खसरा नंबर 151/2 रकबा 0.798 हे. खसरा नंबर 152 रकबा 1.630 हे. कुल किता 02 कुल रकबा 2.428 हे. भूमि पर।	बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक एमपी179132023ए12583866 इंदौर दिनांक 23.11.2023 से भूखण्ड क्रं.1-ए, 1-बी, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 16 एवं 19 इस प्रकार कुल 12 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 9731.07 वर्गमीटर भूमि है।

उपरोक्त कालम नंबर-4 में उल्लेखित 12 भूखंड इस कार्यालय में धरोहर के रुप में बंधक रखे गये है अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भुखंडो का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नहीं किया जावेगा।

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ।) — अपर कलेक्टर, जिला - इन्दौर

भारत सरकार टकसाल, मुंबई
INDIA GOVERNMENT MINT, MUMBAI

एनएबीएल/आईएसओ 17025:2017 प्रमाणित इकाई — NABL/ISO 17025:2017 Certified Unit
भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई — A Unit of Security Printing and Minting Corporation of India Limited
सीआईएन : U22213DL2006GOI144763 — CIN : U22213DL2006GOI144763
मिनी-रत्न श्रेणी । सीपीएसई (भारत सरकार के पूर्ण स्वामीत्वाधीन) — Mini -Ratna Category - I CPSE (Wholly owned by Govt. of India)
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 — Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai-400 001
Tel: 022 - 22663199 Ext. 132/219 Fax: 022 – 22661450 Email: igm.mumbai@spmcil.com Web: igmmumbai.spmcil.com

सूचना

''सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे का प्लैटिनम जयंती समारोह'' स्मारक सिक्के के सेट की बुकिंग

भारत सरकार टकसाल, मुंबई (भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई) निम्नलिखित थीम के प्रूफ और अनसर्क्युलेटेड किस्मों में स्मारक सिक्का सेट की बुकिंग हेतु सहर्ष सूचना जारी करती है :

थीम	प्रूफ (रु.)	अनसर्क्युलेटेड (रु.)
सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय , पुणे का प्लैटिनम जयंती समारोह (रू. 75 का मूल्यवर्ग) – फोल्डर पैकिंग	5180.00	4620.00
सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय , पुणे का प्लैटिनम जयंती समारोह (रू. 75 का मूल्यवर्ग) – वुडन पैकिंग	5635.00	NA

बुकिंग की शुरूवात 24.02.2024 से होगी, सिक्के के सेट की ऑनलाईन बुकिंग हमारी वेबसाईट https://www.indiagovtmint.in पर की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, सिक्के के सेट को हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध ऑर्डर फॉर्म जमा करके ऑफ़लाइन भी ऑर्डर किया जा सकता है या शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई – 400001 में स्थित हमारे स्टोर पर आकर प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत नियम एवं शर्तों तथा ऑनलाईन बुकिंग हेतु कृपया हमारी वेबसाईट **https://www.indiagovtmint.in.** पर **customer corner section** देखें।

Follow us on : @SPMCILINDIA /SPMCILIndia /spmcilindia

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला धार (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 86/2023-24/बी-121 (सिक्यूरिटी)

हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
रजिस्टर्ड कार्यालय-रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बेकवे रिक्लेमेशन चर्च गेट, मुम्बई
शाखा कार्यालय-10/ए-1, एमजी रोड़, इन्दौर .....आवेदक

विरुद्ध

सुभाष चन्द्र डिन्डोर, निवासी प्लॉट नम्बर 135 एवं 136 पार्ट सेक्टर बी, छत्रछाया परिसर, नालछा ब्लॉक, ग्राम पीथमपुर, तहसील पीथमपुर जिला धार एवं अन्य-1 .....अनावेदकगण

क्रमांक/410 / रीडर/ए.डी.एम./2024 — **// सूचना पत्र //** — धार, दिनांक: 21/02/2024

1. सुभाष चन्द्र डिन्डोर,
पता - प्लॉट नंबर 135 एवं 136 (पार्ट), सेक्टर-बी, छत्रछाया परिसर, ग्राम पीथमपुर, जिला धार,
पता- मकान नबंर C/L 280 एम.पी. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर-1, पीथमपुर जिला धार
पता -महिन्द्रा टू व्हीलर्स लिमिटेड प्लॉट नंबर 2, इंडस्ट्रियल एरिया नं. 1, पीथमपुर जिला धार
2. पार्वतीबाई डिन्डोर पति सुभाषचन्द्र डिन्डोर,
पता - प्लॉट नंबर 135 एवं 136 (पार्ट), सेक्टर-बी, छत्रछाया परिसर, ग्राम पीथमपुर, जिला धार
पता- मकान नबंर C/L 280 एम.पी. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर-1, पीथमपुर जिला धार

---00---

एतद् सूचना पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उल्लेखित किया है कि आपके द्वारा ऋण (लोन) लिया गया था, वह लोन नहीं चुकाने के कारण इस न्यायालय के समक्ष वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अंतर्गत प्रतिभूति के रुप में अनुसूची अनुसार रखी गई निम्नानुसार सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

अं.क्रं.	सम्पत्ति का विवरण	स्वीकृत ऋण राशि	कुल बकाया राशि
1.	प्लॉट नम्बर 135 व 136 पार्ट सेक्टर बी, छत्रछाया परिसर, नालछा ब्लॉक, ग्राम पीथमपुर, तहसील पीथमपुर, जिला धार का कुल क्षेत्रफल 55.74 स्क्वेयर मीटर	2,90,000/- दिनांक 27.12.2006	रुपये 1,45,394/- दिनांक 05.01.2022 से ब्याज एवं अन्य खर्चे

अतः आप अथवा आपके अभिभाषक उपस्थित होकर प्रस्तुतआवेदन में वर्णित तथ्यों के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करें कि क्यों न वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धार 14 के अंतर्गत उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त किया जावें । उक्त सूचना पत्र का जवाब मेरे समक्ष **पेशी दिनांक 11.03.2024** को समय **11.00** बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में एक पक्षीय कार्यवाहीं की जाकर प्रस्तावित कार्यवाहीं की जावेगी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला धार (म.प्र.)

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

SMFG Grihashakti — Nayi Asha. Naya Vishwas.

(पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

कार्पोरेट आफिस : 503 एवं 504, पांचवी मंजिल, जी ब्लाक, इन्सीप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स बांद्रा (ई) मुंबई- 400051
रजि. आफिस : मेघ टॉवर्स, फ्लोर 3, पुराना नं. 307, नया नंबर 165, पूनमल्ली हाई रोड मदुरावॉयल चेन्नई-600095

अचल संपत्ति के लिए कब्ज़ा नोटिस [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) का प्राधिकृत अधिकारी है, जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है [राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत (आरबीआई द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली)] (इसके बाद इसे "एसएमएचएफसी के रूप में जाना जाता है) वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54), और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिमांड नोटिस जारी किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित दिनांक में आपसे उधारकर्ता (नीचे उल्लिखित नाम) होने के नाते उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। राशि चुकाने में विफल रहने पर, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने निम्न के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक/भौतिकी कब्ज़ा ले लिया है, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 उपधारा (4) के तहत। विशेष रूप से यहां ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति और इसके साथ कोई भी लेन-देन न करें। संपत्ति नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए "एसएमएचएफसी" के शुल्क के अधीन होगी।

क्र.	उधारकर्ता/गारंटर(ओं) का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	प्रतीकात्मक कब्जे की तिथि
1	लैन-601607510272199 (1)विवेक सुरेशप्रसाद सिंह (2) निशा सिंह परमार (3) सुरेशप्रसाद आर. सिंह (4)शारदा धुलाई प्रक्रिया	सर्वेक्षण क्रमांक 414/4 (पी.एच. क्रमांक 05 नया क्रमांक 31) ग्राम खातीपुरा सुखलिया इंदौर मप्र के दक्षिणी भाग का वह सारा टुकड़ा और पार्सल, इस प्रकार घिरा- पूर्व शेष भाग ओडी विक्रेता, पश्चिम- सड़क, उत्तर- शेष भूमि ओडी विक्रेता विक्रेता, दक्षिण- सर्वे क्रमांक 414/1 पैकी की भूमि, कुल क्षेत्रफल 2012 वर्ग. फुट.	15 दिसम्बर 2023 रु.20,54,854/- (रु. बीस लाख चौवन हजार आठ सौ चौवन केवल) 09 दिसम्बर 2023	22.02.2024 (प्रतीकात्मक कब्ज़ा)

स्थान- इंदौर, मध्यप्रदेश
दिनांक-22.02.2024

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड(पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069
पीथमपुर शाखा: शॉप नं. डीयूजीएफ-46 एवं डीयूजीएफ-47, संपत्ति नं. 138 एवं 139, सुदर्शन कॉम्प्लेक्स और संस्कार वैली, महू-नीमच रोड, पीथमपुर, जिला- धार (मध्य प्रदेश)

मांग सूचना

सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंट्रस्ट (इंफोर्समेंट) नियम 2002 का नियम 3(1) के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

सिक्यूरिटाईजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एस्सेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 (उपरोक्त कानून) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता आधार हाउसिंग फायनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी है। उपरोक्त कानून की धारा 13(12) के साथ सपठित सिक्यूरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेंट) एक्ट, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित निम्न ऋणकर्ता (ओं) (उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं)) को संबंधित मांग सूचना (ओं) में वर्णित राशि का पूर्नभुगतान करने के लिए बुलाये जाने के लिए जारी की गई थी। उपरोक्त संबंध में एक बार पुन: उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) को पुन: सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवस के अंदर नीचे वर्णित राशि के साथ नीचे वर्णित दिनांक से भुगतान की दिनांक एवं / या पुर्नप्राप्ति तक लागू मय ब्याज के उपरोक्त ऋणकर्ता (ओं) से किए गए ऋण अनुबंध के साथ अन्य दस्तावेजो / लिखित में यदि कोई हो, के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करें। जैसा कि ऋण के पुर्नभुगतान की जमानत के लिए निम्न संपत्ति को उपरोक्त संबंधित ऋणकर्ता (ओं) द्वारा AHFL को गिरवी रखा गया है।

क्रं.	उधारकर्ताओं एवं सह-उधारकर्ता / जमानतदार के नाम	मांग पत्र की दिनांक एवं मांग राशि	प्रतिभूतित आस्तियों का विवरण (अचल संपत्ति/यां)
1	(लोन कोड नं. 05110000193 / पीथमपुर शाखा) पंकज पटेल (ऋणी), रेखा बाई (सह-ऋणी)	12-02-2024 ₹ 7,72,042/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लॉट नं. बी-55 (बी-55/2) का भाग, रॉयल टाउन कॉलोनी महूगांव भाटखेड़ी रोड के पास महूगांव इंदौर मध्य प्रदेश 453441

यदि उपरोक्त ऋणकर्ता उपरोक्त राशि का AHFL को भुगतान करने में असफल रहते है तो AHFL उपरोक्त संपत्ति के विरुद्ध कानून की धारा 13 (4) एवं लागू नियम के अंतर्गत ऋणकर्ता के पूर्ण जोखिम मूल्य एवं परिणाम पर कार्यवाही करेगी। उपरोक्त ऋणकर्ताओं को कानून के अंतर्गत संपत्ति का विक्रय, किराया या अन्य प्रकार से बिना AHFL के लिखित अनुमति के बिना हस्तांतरित करने पर प्रतिबंधित किया जाता है कोई व्यक्ति जो कि उपरोक्त कानून या नियम में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन या उल्लंघन करने को बढावा देता है उसे उपरोक्त कानून के अंतर्गत प्रदत जुर्माना या /एवं कारावास के लिए दंड दिये जाने के योग्य होगा।

स्थान : मध्यप्रदेश
दिनांक : 24-02-2024

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
फॉर - आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक /974/अ.क.री./का.से./2024 — इन्दौर, दिनांक 21.02.2024

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियो का विकास) नियम 2014 के अधीन एतद् द्वारा **ग्राम- झलारिया, तहसील-कनाड़िया**, जिला-इन्दौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है :-

अ क्र.	कालोनाईजर का नाम व पता	स्थान जहां के लिये विकास अनुमति जारी की गई है	धरोहर के रुप में बंधक रखे गये भूखंडो का विवरण
1	2	3	4
1	आवेदक मेसर्स एक्सीलेंट इन्फ्राबिल्ड तर्फे पार्टनर श्री विवेक चुघ पिता श्री मोहनलाल चुघ पता:- 84/3/5, ग्राण्ड एक्सोटिका, भिचौली मर्दाना, इन्दौर (म.प्र.) कालोनी का नाम ''PALM EXOTICA''	ग्राम - झलारिया, तहसील-कनाड़िया, जिला - इन्दौर स्थित भूमि खसरा नंबर 151/2 रकबा 0.798 हे. खसरा नंबर 152 रकबा 1.630 हे. कुल किता 02 कुल रकबा 2.428 हे. भूमि पर।	बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक एमपी179132023ए12583866 इंदौर दिनांक 23.11.2023 से भूखण्ड क्रं.1-ए, 1-बी, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 14, 15, 16 एवं 19 इस प्रकार कुल 12 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 9731.07 वर्गमीटर भूमि है।

उपरोक्त कालम नंबर-4 में उल्लेखित 12 भूखंड इस कार्यालय में धरोहर के रुप में बंधक रखे गये है अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भुखंडो का क्रय, विक्रय आगामी आदेश तक नहीं किया जावेगा।

(सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ।) — अपर कलेक्टर, जिला - इन्दौर

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री (IIFL-HFL) कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, फेज - चतुर्थ, गुड़गांव - 122015 (हरियाणा) और शाखा कार्यालय-226, भूतल, एबी रोड, चामुंडा माता मंदिर, देवास- 455001/102/103, दर्शन मॉल, 15/2, रेस कोर्स रोड, इंदौर- 452001, मध्यप्रदेश वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद अधिनियम) के तहत. जबकि आईआईएफएल - एचएफएल के अधिकृत अधिकारी (एओ) ने निम्नलिखित ऋण खातों/prospect संख्या में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया था. आईआईएफएल - एचएफएल के बकाया की वसूली के लिए 'जैसा है जहां है और जैसा है आधार पर' बेचने के अधिकार के साथ, बिक्री वेबसाइट पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी- https-//www.iiflonehome.com

देनदार/सहदेनदार/ गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व राशि	अचल संपत्ति/ सुरक्षित संपत्ति का विवरण	भौतिकी कब्जा तिथि	रिजर्व मूल्य
1. श्री सतीश निगवाल 2. श्री गोपाल 3. श्रीमती फुल्लू (प्रोस्पेक्ट नं. IL10080773)	05 जनवरी 2022 रु. 17,12,919/- (रु. सत्रह लाख बारह हजार नो सौ उन्नीस मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 40,000/- (रु.चालीस हजार मात्र)	संपत्ति के सभी हिस्से और पार्सल, प्लॉट नंबर 68, क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट, रेडवुड पार्क प्रीमियम ब्लॉक सी ग्राम पिगडंबर, तेह महू, जिला इंदौर, म.प्र.	08 फरवरी- 2024 कुल बकाया राशि 05 फरवरी 2024 रु. 17,72,793/- (रु. सत्रह लाख बहत्तर हजार सात सौ तिरानवे मात्र)	रु. 30,24,000/- (रु. तीस लाख चौबीस हजार मात्र) बयाना राशि (ईएमडी) रु. 3,02,400/- (रु. तीन लाख दो हजार चार सौ मात्र)
1. श्री अशफाक अहमद 2. डिलाइट आटो पार्ट्स 3. श्री कजीम शेख (प्रोस्पेक्ट नं. 786033)	01 अप्रैल 2021 व रु. 23,44,197/- (रु. तेईस लाख चवालीस हजार एक सौ सनतानवे मात्र) बिड वृद्धि राशि रु. 40,000/- (रु.चालीस हजार मात्र)	संपत्ति का पूरा हिस्सा और पार्सल, दुकान नंबर 83 (पुराना) नया नंबर 81, माप 230.6 वर्ग फुट, एबी रोड, ट्रैफिक कंट्रोल रूम के सामने, देवास सीनियर, देवास, 455001, मध्य प्रदेश, भारत	05 दिसम्बर 2023 कुल बकाया राशि 05 फरवरी 2024 रु. 23,91,001/- (रु. तेईस लाख इनक्यानवे हजार एक मात्र)	रु. 31,28,000/- (रु. इकतीस लाख अट्ठाइस हजार मात्र) बयाना राशि (ईएमडी) रु. 3,12,800/- (रु. तीन लाख बारह हजार आठ सौ मात्र)

प्रापर्टी निरीक्षण दिनांक	ईएमडी की अंतिम दिनांक	ई-नीलामी दिनांक/समय
22 मार्च- 2024 11.00 से 14.00 बजे	26 मार्च- 2024, 5.00 बजे	28 मार्च- 2024, 11.00 से 13.00 बजे

भुगतान का तरीका- ईएमडी का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड से किया जाना है। भुगतान करने के लिए आपको https-//www.iiflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा।
नोट- प्रत्येक संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग है। सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं, शेष भुगतान के लिए, सफल बोली पर, आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना होगा. खातों का विवरण इस प्रकार है- ए) खाते का नाम- आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड, बी) बैंक का नाम- स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सी) खाता संख्या-9902879×××××× के बाद प्रॉस्पेक्ट नंबर, डी) आईएफएससी कोड- SCBL0036001, ई) बैंक का पता-स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 90 एम.जी. रोड, फोर्ट, मुंबई-400001

नियम और शर्तें

1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https-//www.iiflonehome.com के साथ अपना विवरण पहले से पंजीकृत करना होगा और लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा. इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त शाखा कार्यालय में ईएमडी, केवाईसी और पैन कार्ड की प्रति के भुगतान विवरण के साथ अपना निविदा फॉर्म जमा करना/भेजना होगा.
2. बोलीदाताओं को 'बोली वृद्धि राशि' कॉलम के तहत उल्लिखित राशि के गुणकों में अपने प्रस्ताव में सुधार करना होगा. यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा.
3. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25 प्रतिशत (ईएमडी समायोजित करने के बाद) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर और शेष 75 प्रतिशत बोली राशि को बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करना चाहिए सुरक्षित लेनदार. सभी जमा और भुगतान भुगतान के निर्धारित तरीके में होंगे.
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टांप शुल्क, शुल्क, और कोई अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और अन्य सभी आकस्मिक लागत, संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों के भुगतान सहित शुल्क वहन करना पड़ता है.
5. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट https-//www.iiflonehome.com और https-//www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction के माध्यम से नीलामी बिक्री और नीलामी आवेदन पत्र के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए पहले आवेदन करें. ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करना.
6. विवरण, सहायता प्रक्रिया और ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता ई-मेल आईडी-auction.hl@iifl.com सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर- @ 18002672499.
7. संपत्ति विवरण निरीक्षण संबंधित पूछताछ हेतु व आनलाइन बिड आदि के लिए कॉल IIFL HFL टॉल फ्री नं. 18002672499, 9.30 बजे से 18.00 बजे तक सोमवार से शुक्रवार के बीच या लिखें या ई-मेल-auction.hl@iifl.com.
8. उपरोक्त उधारकर्ताओं को घरेलू सामान लेने के लिए नोटिस दिया जाता है, जो 7 दिनों के भीतर भौतिक कब्जा लेने के समय सुरक्षित संपत्ति में पड़ा था, अन्यथा आईआईएफएल - एचएफएल परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा.
9. इसके अलावा ऋणी को नोटिस दिया जाता है कि यदि वे उपरोक्त वस्तुओं को एकत्र करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानून के अनुसार बेचा जाएगा.
10. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर किसी भी स्तर पर भुगतान में चूक के मामले में, बिक्री को सेल किया जा सकता है और पहले से भुगतान की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा (ईएमडी सहित) और संपत्ति को फिर से रखा जाएगा बिक्री के लिए.
11. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द करने या उनमें परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है. निविदा/नीलामी में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा.

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री नोटिस

उधारकर्ता को निविदा / नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, ऐसा न करने पर संपत्ति को नीलाम/विक्रय किया जाएगा तथा बकाया राशि यदि कोई हो तो ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी.

स्थान- इंदौर, दिनांक- 24 फरवरी 2024 — हस्ता./-अधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069

संशोधन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक **13.02.2024** को इसी समाचार पत्र में **''आधिपत्य सूचना''** शीर्षक से प्रकाशित विज्ञापन में ऋणी - **राजीवकुमार पांचाल** (लोन कोड नं. 11000000364), के खाते में **आधिपत्य की दिनांक** 10.02.2024 के स्थान **09.02.2024** पढ़ी जावे। शेष विवरण यथावत रहेगा।

ह/-
प्राधिकृत अधिकारी

THE COSMOS CO-OP. BANK LTD.

(Multistate Scheduled Bank)

पंजीकृत कार्यालय : कॉसमॉस टॉवर, प्लॉट क्र. 6, आईसीएस कॉलोनी, युनिवर्सिटी रोड, गणेशखिण्ड, शिवाजीनगर, पुणे-411007
फोन : 020 - 67085305

चल सम्पत्तियों की ई नीलामी द्वारा विक्रय सूचना अंतर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सहपठित नियम 6(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002

एतद्द्वारा आम जनता, ऋणीकर्ता, जमानतदार और गिरवीदारों को सूचित किया जाता है कि नीचे बताई गई चल संपत्ती आरक्षित ऋण प्रदाता के पास भारित हैं, जिनका भौतिक कब्जा द कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, की बिक्री / ई-निलामी **26/03/2024** को दोपहर **12:30** बजे से दोपहर **1:30** बजे तक प्रत्येक ५ मिनट के असीमित विस्तार के साथ **'जैसा है जहां है, जो है जैसा है , और जो कुछ भी वहाँ है'** के आधार पर की जाएगी।

ऋणीकर्ता, निदेशक, गिरवीदार, जमानतदार व शाखा का नाम	डिमांड नोटिस 13(2) का ब्योरा		आधिपत्य तिथि	विक्रय / ई-निलामी	
	तिथि	राशि		तिथि	समय
1. मेसर्स प्रगत अक्षय ऊर्जा लिमिटेड पता : 1. 1/1, महारानी रोड, एम-12, श्रीनाथ चेम्बर्स, इंदौर, म.प्र.-452007. पता : 2. सी/ओ. मनीष हाड़ा, निवासी - 80, आर-सेक्टर, महालक्ष्मी नगर, बॉम्बे हॉस्पिटल के पास, इंदौर, (म.प्र.)	21/12/2018	₹ 618.41 लाख + व्याज	21/02/2024	26/03/2024	दो. 12.30 से 1.30 बजे

चल संपत्ति का विवरण:-
पुराना स्क्रैप और पुरानी टैबिंग और स्ट्रिंगिंग स्टेशन मशीन।

रिजर्व मूल्य	बयाना जमा राशि
₹ 75,000/- (₹ पचहत्तर हजार मात्र)	₹ 7,500 (₹ सात हजार पाचसौ मात्र)

2. श्री. राकेश प्रकाशचंद्र जैन
3. श्री. मनीष प्रकाश चंद्र जैन
4. कै. श्रीमती. प्रमिला प्रकाशचंद्र जैन
उत्तराधिकारीयों के माध्यम से
1) श्री. प्रकाशचंद्र नागराज जैन,
2) श्री. मनिष प्रकाशचंद्र जैन,
3) श्री. सतिश प्रकाशचंद्र जैन,
**